(2)

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत

संख्या– /।।।(2)/15–08(मु0म0घो0)/2015

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

देहरादूनः दिनांकः 19 जून, 2015

लोक निर्माण अनुभाग–2

विषयः– वित्तीय वर्ष 2015–16 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 36 कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 36 कार्यो के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी लम्बाई 179.00 किमी0 + 10 सेतु तथा लागत ₹ 1344.36 लाख है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 1344.36 लाख (₹ तेरह करोड़ चवालीस लाख छत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में संलग्नक के कॉलम सं0–5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 36 कार्यो हेतु ₹ 3.60 लाख (₹ तीन लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764/।।।(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

सत्यप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
रामनगर (नैनीताल)

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण –00–24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

3

(ix)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)– वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2016 तक सुनिश्चित किया जायगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–209/XXVII/(2)/2015 दि0:– 17 जून, 2015 को प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:– यथोपरि।

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो॰नि॰वि॰
रामनगर (नैनीताल)

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या:– /III(2)/15–08(मु0मं0घो0)/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ए0एस0पांगती)
उप सचिव

(4)

शासनादेश संख्या:– 4520 / III(2) / 15–08(मु0मं0घो0) / 2015 दिनांक 19 जून, 2015 का संलग्नक

21	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 601 / 2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र– यमकेश्वर के अन्तर्गत दुगड्डा–जुवा मोटर मार्ग के किमी0 1 में लंगूरीगाड पर 30 मी. स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण	30 mtr.	14.40	0.10
22	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 602 / 2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र– यमकेश्वर के अन्तर्गत हनुमंती–उफरैंखाल मोटर मार्ग का विस्तार।	5.00	41.00	0.10
23	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–939 / 2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र –घनसाली के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत चमियाला–श्रीकोट से छमासणी देवी मन्दिर होते हुए सेन्दुल–पटुडगांव मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग का सेतु सहित नव निर्माण कार्य।	3.00+ 72 mtr	21.40	0.10
24	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–713 / 2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र –घनसाली के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत एल.के.सी. मोटर मार्ग के किमी0–10 से चंगोरा–तुगाणा–अणुवा–मयकोट –राजगांव–घाट तक मोटर मार्ग का 02 सेतु सहित नव निर्माण कार्य।	8.00 + 21mt + 40 mtr	33.29	0.10
25	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–93 / 2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र–नैनीताल के अन्तर्गत ग्राम अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	6.00	54.60	0.10
26	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–92 / 2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र–नैनीताल के अन्तर्गत ग्राम असगढ़ी से जोयू तक मार्ग का नव निर्माण	2.00	2.00	0.10
27	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–391 / 2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–थराली के अन्तर्गत बारसगाड़–रेई मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.00	26.76	0.10
28	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–392 / 2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–थराली के अन्तर्गत थराली–सूना–पैनगढ़ मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	32.80	0.10
29	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–393 / 2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–थराली के अन्तर्गत सरकोट–देवसारी मोटर मार्ग का दो सेतु सहित निर्माण।	9.00 + 24 mt + 30mt	126.18	0.10
30	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–395 / 2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–थराली के अन्तर्गत बिजौरागाड़–पालछुनी–परखाल मोटर मार्ग का निर्माण।	4.00	32.80	0.10
31	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–398 / 2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–थराली के अन्तर्गत बगड़ीगाड घुरा–धारकोट से बौंक– पिनाऊ तक एक सेतु सहित मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	23.00 + 42 mtr	191.54	0.10
32	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–466 / 2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–चौबट्टाखाल के विकास खण्ड एकेश्वर में नौगांवखाल मोटर मार्ग से [illegible] मोटर मार्ग (8.00 किमी0) का नव निर्माण कार्य।	8.00	43.14	0.10

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
रामनगर (नैनीताल)

शासनादेश संख्याः— 4520 / III(2) / 15—08(मु0मं0घो0) / 2015 दिनांक 19 [illegible] 2015 का संलग्नक

33	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या—613/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र—प्रतापनगर में पीपलडाली रजाखेत मोटर मार्ग से झील तक मोटर मार्ग का निर्माण।	4.00	102.50	0.10
34	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या—613/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा [illegible] प्रतापनगर में पीपलडाली रजाखेत मोटर मार्ग से [illegible] रोड का [illegible]।	5.00	128.12	0.10
35	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा [illegible]—614/20[illegible] के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधान[illegible] क्षेत्र— [illegible] में मोटना—मदन नेगी सड़क/ पी0टी0 रोड से [illegible] प्रयाग तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	4.00	40.90[illegible]	0.10
36	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा [illegible]—07/201[illegible] के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधान[illegible] क्षेत्र— [illegible] में माजराभाल तक मोटर मार्ग का [illegible]निर्माण।	2.00	1[illegible]	0.10
	योगः—	17[illegible] 10 [illegible]	1344.3[illegible]	3.60

(कुल [illegible] सा[illegible] हजार मात्र)

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो. नि. वि.
रामनगर (नैनीताल)

([illegible]पांगती)
[illegible] सचिव

(6)

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20152016

Secretary, PWD (S038)

शासन पत्र संख्या - 4520/III(2)/15-08(CMGhosna)/2015

अलोटमेंट आई डी - S1506220105

अनुदान संख्या - 022

आवंटन पत्र दिनांक - 18-Jun-2015

HOD Name - Chief Engineer PWD (4227)

1:	लेखा शीर्षक	5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	04 - जिला तथा अन्य सड़कें
		800 - अन्य व्यय	05 - राज्य सेक्टर
		02 - नया निर्माण कार्य	

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	2810000	360000	3170000
	2810000	360000	3170000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 360000

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
उप सचिव, लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
रामनगर (नैनीताल)

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

PWD Uttarakhand

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन-।" उत्तराखण्ड देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

E-mail: cepwdua@rediff.com

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

पृष्ठांकन पत्र संख्या 529/20 याता0'क'/2015

दिनांक-22/06/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय, पौड़ी/टिहरी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी
2. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/सप्तम/अष्टम/द्वादश वृत्त/सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा/नैनीताल/गोपेश्वर/टिहरी/पौड़ी/रूद्रप्रयाग।
3. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून

22/06/15

22/06/15

(7)

परिशिष्ठ

(देखिये नियम 6)

फार्म ''क''

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा 2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग – 1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरा जाने के लिये)

1	**परियोजना का विवरण**		
(i)	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	:	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 93/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग का नव निर्माण।
(ii)	1 : 50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	:	संलग्न है।
(iii)	परियोजना की लागत।	:	₹ 54.60 लाख।
(iv)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	:	स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध होने के साथ सीधे ब्लॉक मुख्यालय से जुड़ जायेंगे। आरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।
(v)	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिये)।	:	आवश्यकता नहीं है।
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है।	:	फल / सब्जियों का उत्पादन बढ़ेगा, मुर्गी पालन / पशु पालन में वृद्धि होगी। पर्यटन बढ़ेगा एवं अन्य छोटे-छोटे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे।

2 कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण। :

भूमि का प्रकार	प्रभाग का नाम / रेन्ज का नाम	कुल भूमि
वन पंचायत भूमि	वन प्रभाग रामनगर/कोटा/देचोरी रेन्ज	1.6650 है0
	कुल	1.6650 है0

3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	:	शून्य
(i)	परिवारों की संख्या।	:	शून्य
(ii)	अनुसूचित जाति/ जनजाति के परिवारों की संख्या।	:	शून्य
(iii)	पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)	:	शून्य
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हॉ/नही)	:	नहीं
5	प्रति पूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ – साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाय)	:	संलग्न है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का व्यौरा।	:	संलग्न है।

दिनांक – 4/11/16

स्थान – रामनगर

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
रामनगर

(इं0 मीना भट्ट)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0
रामनगर (नैनीताल)

भाग – 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या ....

7.	**परियोजना / स्कीम का स्थान**		
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	:	उत्तराखण्ड
(ii)	जिला	:	नैनीताल।
(iii)	वन प्रभाग	:	रामनगर वन प्रभाग, रामनगर
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)।	:	**भूमि का प्रकार** / **प्रभाग का नाम / रेन्ज का नाम** / **कुल भूमि** वन पंचायत भूमि / वन प्रभाग रामनगर/कोटा/दैचोरी रेन्ज / 1.6650 हे0 **कुल 1.6650 हे0**
(v)	वन भूमि की कानूनी स्थिति	:	वन पंचायत भूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	:	0.4 एन0पी0वी0 की धनराशि
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई / जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एफ आर एल. एफ आर एल– 8 मीटर पर परिगणना और एफ आर एल–4 मीटर भी संलग्न की जाय।	:	सूची संलग्न
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	:	शून्य
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	:	वन सीमा से लगा हुआ है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का मार्ग है (यदि हॉं, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियॉं अनुबन्धित की जाए)	:	
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्टि प्रजातियां पाई जाती हैं यदि हां / तो तत्संबंधी व्यौरा दें।	:	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	:	नहीं
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग – 1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	:	
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हॉं/नहीं) यदि हॉं, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	:	नहीं

10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा		
(i)	प्रतिकर वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	:	संलग्न है।
(ii)	प्रतिकर वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर / अवक्रमित वन क्षेत्र और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	:	संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढ़ांचा आदि।	:	प्रजाति कार्यान्वियन एजेंसी रामनगर वन प्रभाग, रामनगर
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	:	
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाणपत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)।	:	
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)।	:	
12	विभाग / जिला प्रोफाइल		
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	:	
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	:	
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	:	
(iv)	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	:	
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि।	:	
	(ख) वनेतर भूमि परन	:	
(v)	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति।		
	(क) वन भूमि पर	:	
	(ख) वनेतर भूमि पर	:	
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	:	

हस्ताक्षर

दिनांक :
स्थान :

नाम
सरकारी मोहर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(रामनगर)
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

भाग–3
(संबधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये परीक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करे।

या संबंधित वन संरक्षक भाग–2 में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश

हस्ताक्षर

नाम :

सरकारी मोहर

भाग–4

अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

साथ प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग को विस्तृत निर्दिष्ट सिफारिशें:

तत्समय, संबधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट दी जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी भी दी जाये)

हस्ताक्षर

नाम :

सरकारी मोहर

भाग–5

(वन विभाग के प्रभारी अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य
प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे
का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

राज्य सरकार की सिफारिश :

(उपर्युक्त भाग ख या भाग ग या भाग घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये)

हस्ताक्षर

नाम :

सरकारी मोहर